भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 389

जिसका उत्तर मंगलवार, 01 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

**राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति**

**389. डॉ० हिना विजयकुमार गावीतः**
**श्रीमती कविता कलवकुंतलाः**
**श्री अभिषेक सिंहः**
**श्री टी० राधाकृष्णनः**
**डॉ. जे० जयवर्धनः**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति की घोषणा की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के लिए पूंजीगत वस्तु उद्योग संबंधी नीति तैयार करने के लिए प्रारूप पत्र के माध्यम से सुझाव मांगे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रतिक्रिया क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पूंजीगत क्षेत्र के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी चीन से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा विनिर्माताओं में प्रतिस्पर्धा में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री**

**(श्री अनंत ग. गीते)**

**(क):** जी, नहीं।

**(ख):** जी, हां। केपिटल गुड्स के संबंध में राष्ट्रीय नीति पर आधार दस्तावेज का मसौदा केपिटल गुड्स और इंजीनियरी संबंधी भारी उद्योग विभाग(डीएचआई)-भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) के संयुक्त कार्यबल द्वारा तैयार किया गया था। इस दस्तावेज का मसौदा समस्त विवरण सहित विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर शीर्ष What's new > Draft base paper for National Policy on Capital Goods and Engineering के तहत डाल दिया गया है।

http://www.dhi.nic.in/writereaddata/uploadfile/Draft_Base_Paper.pdf

अनेक मंत्रालयों और अंशधारकों ने इस मसौदे पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं।

**(ग):** जी, हां।

**(घ):** वर्ष 2014 में केपिटल गुड्स के वैश्विक निर्यात में भारत का भाग 0.8% है जबकि चीन का भाग 15.5% है।

(स्रोत:ईईपीसी/सीआईआई)

भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा एक स्कीम प्रारंभ की गई है जिसमें प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए अनेक उपायों की परिकल्पना की गई है जिनमें प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना तथा प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण/हस्तांतरण के लिए वित्तीय हस्तक्षेप जैसे उपायों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है। इस स्कीम में घरेलू केपिटल गुड्स उद्योग के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा के विस्तार के लिए साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र, एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधा तथा परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना भी है। इन उपायों से वैश्विक बाजार में स्वदेशी केपिटल गुड्स उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होने की आशा है। इस स्कीम का दिशानिर्देशों सहित विवरण dhi.nic.in पर शीर्ष Schemes> Capital Goods Scheme> Scheme Notification पर दिया गया है।

http://www.dhi.nic.in/writereaddata/Notification_HE_and_MT_141114.pdf

**(ङ.)**: यह विभाग विभिन्न उद्योग एसोसिएशनों से केपिटल गुड्स उद्योग के संबंधित उप सेक्टरों के मामलों/मांगों को विशिष्ट रूप से दर्शाने वाले बजट पूर्व ज्ञापन प्राप्त करता है। भारी उद्योग विभाग द्वारा इन मामलों की जांच की जाती है तथा औचित्यपूर्ण पाए जाने पर, इन्हें वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाता है। ऐसे मामले जिनमें उद्योग वरीय व्यापार अनुबंध (अनुबंधों)/मुक्त व्यापार अनुबंध (अनुबंधों) के कारण घरेलू केपिटल गुड्स उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की रिपोर्ट देता है, को यह विभाग वाणिज्य विभाग के साथ भी उठाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, केपिटल गुड्स उद्योग के चार उप सेक्टरों अर्थात मशीन टूल उद्योग, वस्त्र मशीनरी उद्योग, हेवी इलेक्ट्रिकल उद्योग तथा अर्थमूविंग, निर्माण और खनन मशीनरी के लिए गठित विभागीय परिषदें विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा केपिटल गुड्स सेक्टर में वैश्विक निर्यातों में भारत के भाग को बढ़ाने के लिए घरेलू केपिटल गुड्स उद्योग के संबंधित उप-सेक्टरों के विकास के लिए उपाय बताने के लिए अंशधारकों जैसे सरकारी विभाग, उद्योग एसोसिएशन, उपयोक्ता और शैक्षणिक संस्थानों को महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं।

*****